

अवल आधिकारी का कार्यालय, गान्धिनगर

अतिरिक्त वर संख्या-102/19-2020

दिनांक	आदेश फलक	अतिरिक्त
--------	----------	----------

वार का प्रकार-विहार (आरखण्ड) मूँस सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत

आरखण्ड सरकार के आदेश-2074/११०, दिनांक-13.05.2016 सहपत्रित- श्री अजय मुखर्जी निदेशक, मूँस-अर्जन-सह-विहार संविद, राजसद एव मूँस सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आ१०१०/निर्दि-119/85/2308/११०, दिनांक-03.09.1985 एव सह-पत्रित राजसद विभागीय, परिपत्र संख्या-914/११०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में मूँस संविद राजसद का पत्र संख्या-1.05.17.20 एकड़ की मूँस जो मूँस जो मूँसवककासा खास, अनावार विहार (आरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी मूँस है, जिसकी जमाबंदी वस मीजा के पृथी-II के विन्द संख्या-..... के पृथ संख्या-181 पर जमाबंदी देय है।

हका कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉब प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी जिना सभम प्राधिकार के आदेश के/अथे बदोवस्ती के आधार पर/अथे कौडकर बदोवस्ती के आधार पर/अथे जमानामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधरय निजी लाम एव राज्य की भाँति हकिमत करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की स्थिति जमाबंदी अथे प्रतीत होती है, जिसकी विहार (आरखण्ड) मूँस सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के तहत जॉब किया जाना बाँछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संविद जमाबंदी देय को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त मूँस-खण्ड से संविद मूल दरतावेजों/निर्गत जमान रसीद की मांग करें तथा उनको कारणा-पुष्टा करें, कि क्या नहीं उक्त जमाबंदी को अथे मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) मूँस सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सभम प्राधिकार को रद करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अतिरिक्त दिनांक-20-3-2020 को उपस्थापित करें।

अवल आधिकारी
06/3/20
B

अवल आधिकारी
06/3/20
B

6-3-2020

स्थान :-

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतू अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को भेजे।

20/3/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर